कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्टोरेट बेमेतरा

फोन नं.– 07824–222038 Email-ID – deoexcise-bmt.cg@gov.in

क्रमांक/आब./CSMCL/2019/353 बेमेतरा, दिनांक 08-03-2019

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बेमेतरा जिले की कुल 05 विदेशी मदिरा दुकानों एवं 11 देशी मदिरा दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु विदेशी एवं देशी मदिरा दुकानों में संग्रहित खाली कार्टूनों को प्रतिकिलो एवं शीशियों बोतल, अद्धा, पाव प्रतिनग की दर से विक्रय किया जाना है। निविदा दाता द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिनांक 18.03.2019 अपरान्ह 3:00 बजे तक निर्धारित शर्तो के अध्यधीन खाली कार्टूनों के लिए एवं खाली शीशियों के लिए पृथक–पृथक निविदा तकनीकी शर्त एवं प्राइज बिड सहित आमंत्रित की जाती है जिसे गठित समिति द्वारा मूल्यांकन पश्चात दिनांक 19.03.2019 को सायं 4:00 बजे अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बेमेतरा के कार्यालय में खोला जायेगा। केवल तकनीकी रूप से चयनित निविदाकार का ही वित्तीय बिड को खोली जावेगी।

निविदा शर्तो का अवलोकन जिला आबकारी अधिकारी, बेमेतरा एवं जिला प्रबंधक, CSMCL जिला बेमेतरा से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता/फर्म का नाम एवं पता एड्रेस प्रूफ के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर अनिवार्य होगा।
2. गारण्टी मनी के रूप में 25000/– रूपये का गारण्टी मनी का ड्राफ्ट जो जिला प्रबंधक, CSMCL जिला–बेमेतरा के नाम से होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।
3. तकनीकी शर्त एवं वित्तीय प्राइज बिड पृथक–पृथक देना अनिवार्य होगा।
4. प्राप्त निविदाओं में जिसे निविदा का अधिकतम निविदा दर होगी उसी की निविदा मान्य की जावेगी। आफर दर में निर्धारित जी.एस.टी. दर सम्मिलित रहेगा।
5. निविदादाता द्वारा कुल 05 विदेशी एवं 11 देशी मदिरा की निविदा एक साथ देना होगा।
6. निविदा दाता को प्रत्येक सप्ताहांत तक सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के खाली कार्टूनों एवं खाली शीशियों का क्रय करने एवं प्रत्येक सोमवार को सहायक प्रबंधक, CSMCL जिला बेमेतरा के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में निविदा दर पर विक्रय राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
7. किसी भी समय विना कारण बताएं निविदा निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा। इसके विरूद्ध कोई वाद मान्य नही होगा। समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला प्रबंधक, CSMCL
वास्ते, कलेक्टर
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/आब./CSMCL/2019/358 बेमेतरा, दिनांक 08-03-2019

प्रतिलिपि :–

1. महाप्रबंधक संवाद, रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रेष विज्ञप्ति जारी करने बाबत्।

जिला प्रबंधक, CSMCL
वास्ते, कलेक्टर
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

Scanned by CamScanner